

सीमित (अल्प एवं निम्न) आय वर्ग हेतु किफायती

आवासीय योजना



EWS & LIG FLATS



पार्थ आर्क
पार्थ इन्फ्राविल्ड प्रा० लि०
सेक्टर-7, गोमती नगर एक्सटेंशन,
शाहीदपथ, लखनऊ।
मो०:- 91-9984798999, 9984865888, 0522-4935900-50

रजिस्टर्ड आफिस:
पार्थ इन्फ्राविल्ड प्रा० लि०
प्लॉट नं० 73, राउण्ड क्लॉर,
पटवर्धनगंज इण्डस्ट्रीयल एरिया,
दिल्ली - 110 092
वेबसाइट-www.paarthinfra.com

विवरण पुस्तिका

उत्तर प्रदेश सरकार की सीमित (अल्प एवं निम्न) आय वर्ग के लिए सरस्ते आवास उपलब्ध कराने की नीतियों के अन्तर्गत सेक्टर-7 गोमती नगर एक्सटेंशन, शाहीदपथ, लखनऊ में प्रस्तावित 'पार्थ आर्का' योजना के अन्तर्गत किफायती (G+7) आवासीय योजना प्रारम्भ की जा रही है जहाँ सीमित (अल्प एवं निम्न) आय वर्ग के लिए अत्यन्त कम कीमत पर, अच्छी निर्माण क्वालिटी एवं सर्व सुविधा सम्पन्न फ्लैट उपलब्ध होंगे।

उपरोक्त योजना का विकास पार्थ इन्फ्राबिल्ड प्रा० लि० (Paarth Infrabuild Pvt. Ltd.) एवं

ए.बी.सी. इन्फ्राप्रमोटर्स प्रा० लि० के द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त विकास अनुबन्ध (JDA) दिनांक 11.10.13 के अन्तर्गत की जा रही है।

लखनऊ अब ऐसे स्थान के रूप में विकसित हो रहा है जहाँ पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों से भी आए लोग अपनी नौकरी, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक गतिविधियों के कारण यहाँ स्थापित होने के उद्देश्य से एक किफायती मकान की आवश्यकता महसूस करते हैं। इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 'पार्थ आर्का' में किफायती (G+7) आवासीय योजना में फ्लैटों का पंजीकरण प्रारम्भ किया है। आम जनता के लिए बनाये जाने वाले यह फ्लैट किफायती, मजबूत एवं सामान्य जीवन की सभी सुविधाओं से युक्त होंगे।

इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध फ्लैटों का अनुमानित बिल्टअपक्षेत्रफल 28.35 वर्ग मी. व 51.00 वर्ग मी. होगा। फ्लैटों में लिविंग रूम/बेड रूम, रसोई घर (किचन) स्नानग्रह एवं बालकनी का प्राविधान है। फ्लैटों के डिजाईन में समुचित वायुसंचार (वेंटिलेशन) एवं रोशनी की व्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखा गया है, जिससे कि फ्लैट हवादार एवं प्राकृतिक रोशनी से भरपूर हो। भूकम्परोधी निर्माण, पार्क एवं बच्चों के लिए खेलने की समुचित व्यवस्था, दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की दुकानें, वाहन खड़े करने का निर्धारित स्थल (पार्किंग) इत्यादि सभी प्रकार की सुविधाएं इस योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं।



An Artist's Impression



लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्राविधानों के अन्तर्गत 'पार्थ आर्का' किफायती (G+7) आवासीय योजना के भवनों का विवरण:

1. पंजीकरण:

1.1 पंजीकरण हेतु पात्रता:

- आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक जो भारत का नागरिक होना चाहिए। अप्रवासी भारतीय भी आवेदन कर सकते हैं परन्तु आवंटन में वरीयता नहीं मिलेगी।
- आवेदक अथवा उसके परिवार (परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसका पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चों से है) के किसी सदस्य का लखनऊ विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, इम्पूवमेण्ट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति द्वारा विकसित कॉलोनिंगों में कोई अपना भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा सहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों अथवा संस्थाओं द्वारा विकसित कॉलोनिंगों में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए।
- एक परिवार एक ही आवेदन कर सकता है।
- प्लेट्स के आवंटन हेतु केवल पति, पत्नी अथवा एक ही परिवार के रक्त सम्बन्धी सदस्य ही संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते हैं, परन्तु इसकी संख्या दो से अधिक नहीं होगी। अन्य कोई संयुक्त आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
- EWS हेतु ऐसे परिवार पात्र नहीं होंगे जिनके पास निजी मोटराइज्ड चार-पहिया वाहन है।
- आवंटन के बाद सफल आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ-पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में प्रस्तुत तथ्यों का सत्यापन किया जा सकता है।
- आवेदकों का पंजीकरण नीति के अनुसार प्राधिकरण से मजूरी के अधीन है।
- सेना कर आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा जो इकाई की उल्लिखित राशि में शामिल नहीं है।
- कम्पनी द्वारा किसी भी प्रकार का कर्ज/लोन कराने का उत्तरदायित्व नहीं होगा एवं आवंटनी इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। कम्पनी का दायित्व केवल परियोजना से संबंधित अभिलेखीय कागजात उपलब्ध कराना होगा।
- प्राधिकरण द्वारा भविष्य में कर्ज से संबंधित पोलिसी में किसी भी प्रकार का संशोधन होने से आवंटनी के कर्ज/लोन में आये हुए किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के लिए कम्पनी का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा इसके लिए आवंटनी स्वयं जिम्मेदार होगा।

2. सम्पत्तियों का विवरण :

बिल्डिंग एवं प्लेटों के डिजाइन में परिवर्तन हो सकता है।

प्लेट के प्रकार	प्लेटों की अनुमानित संख्या	अनुमानित विल्टअप एरिया (व.मी.)	अनुमानित सुपर एरिया (व.मी.)	अनुमानित विक्रय मूल्य (रु. लाख में)	पंजीकरण घनराशि (रु. में)	चयन के पश्चात एक माह में देय घनराशि (रु.)	अवशेष भुगतान
EWS	48	28.35	35.10	5.32	15000	30000	शेष घनराशि 24 माह में 8 तिमाही किश्तों में जमा करना होगा
LIG	48	51.00	63.14	14.71	35000	70000	

ई.डब्ल्यू.एस. हेतु आवंटनी की वार्षिक आय सीमा रु. 1,00,000/- एवं एल.आई.जी. हेतु वार्षिक आय सीमा रु. 1,00,000/- से अधिक परन्तु रु. 2,00,000/- तक निर्धारित है। भवनों का आवंटन सीजहोल्ड के आधार पर किया जायेगा तथा आवंटन की तिथि से 5 वर्षों अथवा देय लागत जमा करने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक आवंटित भवनों के विक्रय/हस्तांतरण पर प्रतिबन्ध रहेगा, तत्पश्चात् यह फ्रीहोल्ड माना जायेगा।

नोट-

- उपरोक्त दरें वर्तमान CPWD की दरों पर आधारित हैं। यदि CPWD की तरफ से कोई Notification Official Cost Index जारी किया जाता है तो तदनुसार या दरें भी बढ़ जायेंगी और आवंटनी उन्हीं बढ़ी दरों के आधार पर भुगतान को बाध्य होगा और इस सम्बन्ध में कोई भी विवाद मान्य नहीं होगा।
- भविष्य में हड़को/भारत सरकार द्वारा सीलिंग कास्ट पुनरीक्षित करने पर यथावत् लागू होंगे। हड़को/भारत सरकार द्वारा सीलिंग कास्ट में पुनरीक्षण न करने पर प्रत्येक वर्ष 'कास्ट इन्डेक्स' के आधार पर पुनरीक्षित जाएगा।
- उपरोक्त सभी योजनाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित तथा समाज के विकलांग व्यक्तियों द्वारा निर्धारित पंजीकरण घनराशि की आधी घनराशि जमा कर पंजीकरण कराया जा सकता है।
- उपरोक्त प्लेटों की संख्या अनुमानित है जो घट या बढ़ सकती है। उपरोक्त प्लेटों का घोषित मूल्य अनुमानित है, जिसमें 5 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है।
- शासन अथवा किसी शासकीय अधिकरण द्वारा कोई अतिरिक्त टैक्स तथा वेट, सर्विस टैक्स आदि रोपित किया जाता है तो यह आवंटनी द्वारा अलग से देय होगा।
- अनुमानित क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर भवन का मूल्य वास्तविक क्षेत्रफल के अनुसार देय होगा।
- भूतल के लिये 5 प्रतिशत एवं प्रथम तल के लिए 3 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा।
- भवन पूर्ण होने के 3 माह के अन्दर आवंटनी को रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा। अथवा तीन माह पश्चात् रु. 1 प्रति वर्ग फीट प्रतिमाह व्याज सहित देय होगा। एक वर्ष तक रजिस्ट्री नहीं कराने पर आवंटन निरस्त करते हुए पंजीकरण राशि में से 20% राशि की कटौती करके शेष राशि बिना व्याज के वापस कर दी जायेगी।
- विकलांगों को ग्राउण्ड फ्लोर में प्राथमिकता के लिये मुख्य विक्रियताधिकारी द्वारा जारी अपंगता प्रमाण-पत्र लगाना आवश्यक है।


- 2.1 उपरोक्त भवनों का आवंटन 30920 शालन के शासनादेश सं0 1/2418/आत-1-14-80 विविध-10 के क्रम संख्या 1128/आ040/2014 दिनांकित 26-08-2014 के अनुसार गठित समिति के माध्यम से किया जायेगा।
- 2.2 चयन के पश्चात् वांछित धनराशि एवं किश्तें निर्धारित अवधि में जमा न करने पर 15 प्रतिशत वार्षिक व्याज देय होगा। यदि आवंटनी द्वारा आरक्षण धनराशि जमा देय किश्त की धनराशि उसकी देय तिथि से अधिकतम 90 दिन में व्याज सहित जमा नहीं की जाती है तो उसका आरक्षण/आवंटन बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार विकासकर्ता को होगा जो कि लखनऊ विकास प्राधिकरण को कठम सूचित करते हुए किया जायेगा।
- 2.3 विकासकर्ता द्वारा ये प्लैट 36 माह की अवधि में उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।
- 2.4 आवंटनी द्वारा नियमानुसार फ्री-होल्ड मार्जिन व अन्य व्यय का भुगतान भवन का निबन्धन/अनुबन्ध डीडी कराने से पूर्व करना होगा। निबन्धन/अनुबन्ध से पूर्व निर्धारित स्टैम्प पेपर आवंटनी को स्वयं उपलब्ध कराना होगा।
- 2.5 भवन का निबन्धन/अनुबन्ध रजिस्टर्ड होने के साथ ही आवंटनी को भवन का कब्जा हस्तगत कर दिया जायेगा।
- 2.6 सम्पत्ति का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटनी द्वारा कोई भी निर्माण बिना विकासकर्ता की अनुमति के नहीं किया जायेगा। उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार कटौती करते हुए पंजीकरण/आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं भवन का कब्जा विकासकर्ता द्वारा रीपिस ले लिया जायेगा।

3. छूट

आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 45 दिन के अन्दर पूर्ण भुगतान करने पर अनुमानित विक्रय मूल्य की 75 प्रतिशत धनराशि पर 5 प्रतिशत की छूट अनुमत्त होगी। किन्तु आवंटनी द्वारा शेष धनराशि जमा करते समय यह छूट अपने स्तर से नहीं घटायी जाएगी, छूट की धनराशि को अन्तिम गणना के पश्चात् अन्य देय मदों में समायोजित किया जायेगा। उपर्युक्त अवशेष आरक्षण शुल्क में समायोजित की जायेगी।

4. आवंटनी/आवेदक की मृत्यु की दशा में :

यदि आवंटनी/आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसके आवेदन/उसकी आवंटित भवन सर्वप्रथम पति/पत्नी को एवं पति/पत्नी की मृत्यु होने पर पुत्र/पुत्री को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।



5. आरक्षण :

5.1 शासनादेश के अनुसार आरक्षण निम्न प्रकार देय होगा।

क्रमांक	वर्ग	प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	21
2.	अनुसूचित जनजाति	02
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27
4.	विधायक / सांसद व स्वतंत्रता सेनानी	05
5.	सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो	05
6.	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	02
7.	सुरक्षा सैनिक व उनके आश्रित	03
8.	विकलांगों को शासनादेश सं. 786/आठ-1-08-25 विविध-07 दिनांक 30-01-08 तथा 3645/आठ-1-2011-25 विविध-07 दिनांक 19 दिसम्बर 2011 के अनुसार 03 प्रतिशत होरीजॉण्टल आरक्षण देय होगा।	

(नोट- यदि उपरोक्त सूची में दी गयी आरक्षण तालिका के अनुसार आवेदन पत्र विकसकताओं की समयसीमा में प्राप्त नहीं होती है तो आरक्षित प्लेट की सामान्य श्रेणी में गिने जायेंगे।)

5.2 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित वृद्धजनों हेतु राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विधायक/संसद सदस्य द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सम्पत्तियों के निस्तारण में भी समाज के वृद्धजनों के लिए 10 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाये, परन्तु यह आरक्षण अलग से न होकर प्रत्येक श्रेणी के लिये उपलब्ध आरक्षण में से ही होगा। उदाहरण स्वरूप यदि वृद्ध व्यक्ति अनुसूचित जाति का है तो उस वर्ग के लिये निर्धारित 21 प्रतिशत के आरक्षण का 10 प्रतिशत आरक्षण वृद्धजनों के लिये उपलब्ध होगा। इस प्रकार यह आरक्षण होरीजॉण्टल होगा।

5.3 वृद्धजनों से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जिन्होंने आवेदन की तिथि को 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

5.4 आरक्षण के लिए सक्षम अधिकारी से निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

5.5 पैरा 5.3 व 5.1(5) का आरक्षण प्राप्त करने के लिये आवेदन के साथ आयु प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

5.6 (अ) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य ऐसे आवेदक से है जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसके द्वारा इन कार्यक्रमलापो में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो माह की अवधि के लिए कारावास का दण्ड भोगा गया हो या जिसे नज़रबंदी या अंडर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन माह की अवधि के लिये रखा गया हो या कम से कम 10 बेटों की सजा पायी हो या फरार घोषित किया गया हो या स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ है।

(ब) जो पेशावर कांड में रहा हो या जो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हो या भूतपूर्व इण्डियन-डेन्स लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हों।

5.7 सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य सेवारत/सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

5.8 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्वगत आने वाली जातियों से है।

5.9 अन्य पिछड़े वर्ग का तात्पर्य 1990 (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण अधिनियम-1994) अधिनियम संख्या-4 सन् 1994 की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट हैं। इस अधिनियम की अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग के श्रेणी में आने वाले आवेदकों की सुविधा का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

5.10 लखनऊ विकास प्राधिकरण/जल संस्थान/नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्य ऐसे कर्मचारी से है जो नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती से नियुक्त हों।

6. आवंटन :

6.1 प्लैटों (प्लॉट/यूनिट नं०) का आवंटन प्लैट की उपलब्धता के आधार पर लाटरी के माध्यम से जन सामान्य के समक्ष किया जायेगा।

6.2 लाटरी का परिणाम सार्वजनिक रूप से विकासकर्ता के नोटिस बोर्ड एवं विकासकर्ता की वेबसाइट www.paarthinfra.com पर उपलब्ध होगा।

7. पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं असफल आवेदकों की जमा धनराशि की वापसी :

7.1 चयन की लाटरी के पश्चात् असफल एवं निरस्त आवेदन पत्रों के आवेदकों को एक माह के अन्दर एकाउण्ट पेई बैंक द्वारा धनराशि बिना व्याज के बैंक के माध्यम से वापस की जायेगी। इस हेतु आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर अपने बैंक का खाता विवरण अंकित करना होगा।



7.2 सम्पत्ति के आवंटन के पश्चात् घनराशि वापस लेने पर 20 प्रतिशत (पंजीकरण घनराशि पर) कटौती करते हुये अवशेष घनराशि बिना व्याज के वापस की जायेगी।

8. तथ्यों का छिपाना :

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया गया है तो उनके आवंटन/अनुबन्ध/निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार विकासकर्ता को होगा एवं आवंटनी द्वारा जमा की गई घनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं यदि पलैटका कब्जा हस्तागत हो चुका है तो विकासकर्ता सी-एन्ट्री करते हुए पलैट का कब्जा वापस प्राप्त कर सकेगा अथवा विकासकर्ता ल.वि.प्रा. की शर्तों के अनुसार अन्य कोई कार्यवाही (जो उचित समझे) कर सकता है।

9. भुगतान :

आवंटियों द्वारा सीलिंग कास्ट के अनुसार देय घनराशि का भुगतान सीधे विकासकर्ता को किया जायेगा तथा आवंटनी के पक्ष में विक्रय-विलेख के निबन्धन हेतु विकासकर्ता द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

10. पलैट्स का कब्जा :

10.1 पलैट्स के सम्पूर्ण मूल्य व अन्य व्ययों के भुगतान के उपरान्त अनुबन्ध/निबन्धन निष्पादन के साथ ही आवंटनी को पलैट का कब्जा दिया जायेगा। आवंटन तिथि से 36 माह में, पलैट का कब्जा न दिये जाने की स्थिति में आवंटनी को अपनी जमा घनराशि पर 4 प्रतिशत साधारण व्याज के साथ अपनी व्याज सहित जमा घनराशि वापस लेने का विकल्प होगा, परन्तु इसके अतिरिक्त अन्य कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।

10.2 अनुबन्ध/निबन्धन में आने वाला समस्त व्यय एवं स्टैम्प पेपर का व्यय आवंटनी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

10.3 विकासकर्ता द्वारा सूचित अवधि में पलैट का कब्जा न लेने पर आवंटनी को नियमानुसार आवश्यक शुल्क देना होगा तत्पश्चात् अनुबन्ध/निबन्धन से विलम्बतम तीन माह तक कब्जा न लेने पर विकासकर्ता को ल.वि.प्रा. को सूचित करते हुए पलैट का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

11. शुल्क / कर आदि की देयता :

नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क आवंटनी पर देय होंगे।



12. अन्य सामान्य नियम व शर्तें :

- 12.1 आवंटन के पश्चात् विकासकर्ता की अन्य प्रचलित शर्तें/नियम तथा समय-समय पर विकासकर्ता अथवा प्राधिकरण द्वारा किये गये संशोधन/परिवर्तन/परिवर्तन लागू एवं मान्य होंगे।
- 12.2 आवेदन-पत्र में नवीनतम फोटोग्राफ जिस पर आवेदकों के नाम/हस्ताक्षर अंकित हों, लगाना आवश्यक होगा।
- 12.3 किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा।

13. पंजीकरण प्रक्रिया :

- 13.1 पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका दिनांक 16 अक्टूबर, 2015 से 16 नवम्बर, 2015 तक किसी भी कार्य दिवस में 200/- नगर भुगतान पर निर्दिष्ट बैंक से प्राप्त की जा सकती है।
- 13.2 पंजीकरण पुस्तिका रु. 225/- का बैंक ड्राफ्ट पार्थ इन्फ्राबिल्ड प्रा० लि० (Paarth Infrabuild Pvt. Ltd.) के पक्ष में जो लखनऊ शहर में देय हो, भेज कर डाक द्वारा भी भेजा जा सकता है।
- 13.3 पंजीकरण प्रपत्र कम्पनी की वेबसाइट www.paarthinfra.com से डाउनलोड करके भी प्राप्त किये जा सकते हैं। ऐसे आवेदन पत्रों पर धनराशि के साथ पंजीकरण प्रपत्र हेतु रु. 200/- का अलग से भुगतान करना होगा।
- 13.4 योग्य आवेदकों की सूची लखनऊ विकास प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड पर उभाल दी होगी। इस सम्बन्ध में जन सम्पर्क कार्यालय से सूचना प्राप्त की जा सकती है।
- 13.5 योग्य आवेदकों की सूची जारी करना तत्पश्चात् प्लेटों का आवंटन करना लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नीति के अन्तर्गत किया जायेगा।
- 13.6 विवरण पुस्तिका में संलग्न आवेदन-पत्र पूर्ण रूपेण भरें।
- 13.7 पंजीकरण की धनराशि का ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर पार्थ इन्फ्राबिल्ड प्रा० लि० (Paarth Infrabuild Pvt. Ltd.) के पक्ष में, जो लखनऊ शहर में देय हो, द्वारा होगा।
- 13.8 विवरण पुस्तिका में संलग्न शपथ-पत्र के प्रारूप को रु. 10/- के स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर नोटरी/मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित कराते हुए आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना होगा।
- 13.9 पूर्ण रूप से भरे आवेदन-पत्र सूको बैंक, LDA गौमती नगर शाखा से अन्तिम तिथि से पूर्व जमा किये जा सकते हैं।
- 13.10 आवेदन-पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि विकासकर्ता द्वारा LDA के अनुमोदन उपरान्त बढ़ायी जा सकती है।



14. आवेदन-पत्र भरने के लिए अनुदेश :

1. आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में नाम व पता पूर्ण रूप से भरा जाना चाहिए। अपूर्ण अथवा अधूरे भरे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
2. शासनादेश के अनुक्रम में प्लैट का निबन्धन पति एवं पत्नी के नाम संयुक्त रूप से किए जाने की व्यवस्था है। अतः आवेदक की सुविधा के लिए आवेदन-पत्र के क्रमांक 6 व 7 पर पति एवं पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से आवेदन किया जा सकता है।
3. संयुक्त नाम से प्रस्तुत किए गये आवेदन-पत्र में दोनों आवेदकों द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने चाहिए।
4. आवेदन-पत्र पर आवेदक/आवेदकों का पासपोर्ट साइज का फोटो लगाया जाना होगा।
5. आवेदक द्वारा बैंक ड्राफ्ट के पीछे पूरा नाम, पता एवं आवेदन-पत्र का क्रमांक अंकित कर दिया जाना चाहिए। बैंक ड्राफ्ट Paarth Infrabuild Pvt. Ltd. के नाम अंकित होना चाहिए।
6. आवेदक कृपया अपने बैंक खाते से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचनायें आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर अवश्य भरें जिससे कि असफल आवेदकों की एंजीकरिंग धनराशि की वापसी सीधे उनके खाते में तत्काल जमा करनी सम्भव हो सकेगी।
(अ) बैंक के ब्रांच का एम.आई.सी. आर कोड (ब) बैंक के ब्रांच का आई.एफ.एस.ई. कोड (स) खाते का प्रकार (बचत/करेंट/कैश क्रेडिट)

15. भुगतान पद्धति के कोड :

भगद भुगतान (आवंटन की तिथि से 90 दिन की अवधि में पूर्ण भुगतान)
स्वचालित प्रेषित (24 माह में 8 तिमाही किश्तों में भुगतान)

16. प्रस्तावित योजना का कोड :

गोमती नगर एक्सटेंशन योजना, लखनऊ

17. प्लैट का प्रकार :

EWS

LIG



EWS & LIG BLOCK PLAN (अल्प एवं निम्न आय आवासीय योजना)

Disclaimer – This brochure is purely conceptual and not a legal offering. Further the promoters / architects reserve the right to add / delete any details / features / specifications / elevation mentioned if so warranted by the circumstances.



TYPICAL LIG UNIT PLAN



KEY PLAN

AREA DETAILS

Unit Area = 51.00 sq.m

Common Area (lobby, staircase, mummy, machine room) = 12.14 sq.m

Total super area = 63.14 sq.m

(Note: Architectural feature, net parking & other loading is not included)

LIG UNIT PLAN
(अल्प आय वर्ग यूनिट)

Disclaimer – This brochure is purely conceptual and not a legal offering. Further the promoters / architects reserve the right to add / delete any details / features / specifications / elevation mentioned if so warranted by the circumstances.



TYPICAL EWS UNIT PLAN



KEY PLAN

AREA DETAILS

Unit Area = 28.36 sq.m

Common Area (lobby, staircase, mummy, machine room) = 6.75 sq.m

Total super area = 35.10 sq.m

** (Note: Architectural feature, self parking & other loading is not included)

EWS UNIT PLAN (निम्न आय वर्ग यूनिट)

Disclaimer – This brochure is purely conceptual and not a legal offering. Further the promoters / architects reserve the right to add / delete any details / features / specifications / elevation mentioned if so warranted by the circumstances.

Specifications for EWS & LIG Housing

1. Structure

- (a) Ground plus three
 - Stepped footing in brick masonry for sub-structure
 - Preferably Rat Trap Bond in bricks for wall masonry.
 - RCC lintel band and roof level band for earthquake resistance.
- (b) Above Ground plus three
 - RCC framed structure
 - Preferably Rat Trap Bond in bricks for wall masonry.

2. Roof/Floor

- Reinforced Brick Slab or Pre-cast Reinforced Brick panel for roofing placed over partly pre-cast RCC Joists with screed.
- CC flooring.

3. Door/Windows

- For main entrance 35mm thick flush door with 35mm x 35mm x 5mm MS Angle Iron Frame.
- T&Z Section window with glass panes.

4. Finishing

- Internal plastering
- External walls exposed finish with ordinary colour wash.
- Enamel painting on doors/windows

Note: Above specifications are Indicative.

General Specifications

Slab: Slab of Room, Kitchen and Toilet will be prefabricated & pre-stressed.

Walls: All the walls will be 9"4 1/4" thick Brickwork walls and shall be plastered inside and outside both with 1:6 Cement and fine sand mortar.

Finishing Items:

(I) Flooring:

- (a) Room: Average 25mm thick CC flooring.
- (b) Kitchen: Average 25mm thick CC flooring.
- (c) Bath-room: Average 25mm thick CC flooring.
- (d) W.C.: Average 25mm thick CC flooring.

(II) Doors, Windows and Ventilators:

- (a) Door: For main entrance 35 mm thick flush door with 35mm x 35mm x 5mm MS angle iron frame along with 2 Nos. tower bolts of length 6" or 8" as suitable with 2 Nos. handles and 1 No. 12" MS aldrop.
- (b) Toilet door will be flush door panels with angle iron frame along with 2 Nos. tower bolts and 2 Nos. handles.
- (c) Windows: All windows will be T & Z section.

(III) Painting:

- (a) Inside the unit for wall and ceiling: Two coat white wash for wall and ceiling.
- (b) Outside: Two coat of ordinary colour wash for walls.
- (c) Door and Windows frame: Door, window frame should be with one coat primer and one coat of oil paint.

(IV) Dado

- (a) For toilet 450 mm dado with cement punning.
- (b) For kitchen 150 mm dado with cement punning.
- (c) W.C. 450 mm high dado in cement punning.

(V) Plumbing & Sanitary:

- (a) W.C.: European/Western
- (b) Two number 1/2" PVC tap of good quality in the toilet.
- (c) One number 1/2" PVC tap of good quality in the kitchen.
- (d) Soil line, waste water line should be of 4" dia PVC Pipe of 4 Kg/Sq.Cm. pressure.
- (e) 4" dia PVC nahani trap with jalli one in toilet & one in kitchen.
- (f) Heavy duty PVC solvent pipe for all water line.

(VI) Electrification:

One number fan-hook and PVC conduit pipe in slab.

(VII) Pre-cast Kitchen platform of size 450mm x 1000mm to be provided in the kitchen.

LOCATION MAP



Location Advantage

S.NO.	Landmark	Distance (Kms)	Approx. Travel Time (Minutes)
1	Haridwar	120km	18
2	Dehradun	130km	19
3	Lal Bahadur Shastri	170km	25
4	Ghazi Nagar	25km	30
5	Delhi	140km	35



MAP NOT TO SCALE



RAATHI AAROKA IS A REGISTERED TRADEMARK

पार्थ इन्फ्राबिल्ड प्रा10 लि0

नोटर-1, गोमती नगर एक्सटेंशन, ग्राम अहममऊ, लखनऊ

मो0- 91 9964788889 8822 4003800.00

वेबसाइट- 91 (91) 9964788889

शपथ-पत्र का प्रारूप

(शपथ-पत्र रु. 10/- के जनरल स्टैम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित हो)

मैं/हम श्री/श्रीमती _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री _____
आयु _____ वर्ष _____ निवासी _____ शपथपूर्वक यह
बयान करता/करती हूँ/करते हैं कि-

1. मैं/हम भारत का/के नागरिक हूँ/हैं।
2. मेरे या मेरे परिवार (परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसकी पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चों से है) के किसी सदस्य का लखनऊ नगर में लखनऊ विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति द्वारा विकसित कालोनियों में कोई अपना भूखण्ड/भवन नहीं है।
3. यदि भूमि अर्जन के प्रकार के सम्बन्ध में न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कारण से आवंटित भूखण्ड के मूल्य में वृद्धि होगी तो मैं उसके निर्धारित नियमों अनुरूप भुगतान करूंगा/करूंगी/करेंगे।
4. मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूंगा/करूंगी/करेंगे। यदि मेरे द्वारा भुगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं विकासकर्ता उक्त के कारण मेरा आवंटन निरस्त करता है तो मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
5. मेरे अथवा मेरे परिवार के पास निजी चार पहिया मोटराइज्ड वाहन नहीं है। (केवल EWS हेतु लागू)
6. आवेदन-पत्र में मेरे द्वारा जो तथ्य दर्शाये गये हैं, वे सत्य हैं।
7. मेरे द्वारा पंजीकरण फार्म में स्याता सम्बन्धी विवरण दिया गया है जो कम से कम दो वर्ष तक मान्य रहेगा। यदि उपरोक्त घोषणाएं भविष्य में असत्य पायी जायें तो विकासकर्ता को यह अधिकार होगा कि वह आवंटित भूखण्ड/भवन निरस्त कर दें तथा समस्त जमा धनराशि जब्त कर लें। यदि भूखण्ड की रजिस्ट्री हो गई हो तो भी इस मिथ्या निरूपण के कारण जुर्माने/दण्ड स्वरूप रजिस्ट्रीकृत भूखण्ड के मूल्य के बराबर धनराशि भू-राजस्व के बकाया की भांति मुझे/हमें वसूली कर ली जाय।

शपथी

आवेदक की प्राप्ति रसीद (आवेदक द्वारा स्वयं भरा जायेगा)

पंजीकरण फार्म नम्बर _____

आवेदक का नाम _____

बैंक ड्राफ्ट नं0 _____

धनराशि _____

दिनांक _____

2

ड्राफ्ट निर्गत करने वाले बैंक का नाम _____

शाखा _____

आवेदक के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर एवं बैंक की मुहर

दिनांक _____

पार्थ आर्का योजना

सेक्टर-7, गोमती नगर एक्सटेंशन

सामान्य पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

आवेदक का समस्त नाम अनिवार्य है।	आवेदक का मौखिक नाम अनिवार्य है।
---------------------------------------	---------------------------------------

1. योजना का नाम
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) 1. 2.
(अंग्रेजी में) 1. 2.
3. पिता/पति का नाम 1. 2.
4. जाय 1. 2.

(संयुक्त आवेदन की दशा में विवरण भरा जाये)

5. पता (अ) वर्तमान पता (पत्र व्यवहार हेतु)
..... पिन कोड टेलीफोन नं.
(ब) स्थायी पता
..... पिन कोड टेलीफोन नं.

6. आरक्षण श्रेणी (आरक्षित श्रेणी का उल्लेख करें)
(आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)

7. पंजीकरण धनराशि की वापसी हेतु आवेदक के बैंक खाते का विवरण
बैंक का नाम शाखा का नाम

8. जमा की गयी पंजीकरण धनराशि का विवरण, दुर्बल आय वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.)/अल्प आय वर्ग (एल.आई.जी.)
पंजीकरण धनराशि रु. (शब्दों में)
शाखा पता

9. आवेदक का व्यवसाय वार्षिक आय
(प्रमाण पत्र भी संलग्न करें)

10. आवेदक के परिवार के जाश्रित सदस्यों का विवरण -

नाम	आयु	सम्बन्ध
1.
2.
3.
4.

मैं/हम एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त दी गयी सूचना मेरी जानकारी में सत्य है एवं इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है तथा इसका कोई भाग असत्य नहीं है। मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने/हमने उक्त योजना में पंजीकरण सम्बन्धी समस्त नियम एवं शर्तों को जो शासनादेश संख्या में दिए गए हैं को मली-भाति पढ़/समझ लिया है तथा मैं उनसे सहमत हूँ तथा उन्हें मानने के लिए बाध्य हूँ। मैं/हम ये भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि ऊपर दी गई कोई सूचना अथवा सूचना का कोई भाग असत्य या अपूर्ण पायी जाती है तो विकासकर्ता कम्पनी को पंजीकरण/आवेदन निरस्त करने तथा अन्य विधिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

आवेदक/आवेदक के हस्ताक्षर

संलग्नक :

1.

2.

3.

4.

1. नाम

1. नाम

दिनांक

→ बैंक के प्रयोग हेतु ←

ड्राफ्ट संख्या दिनांक बैंक का नाम/शाखा

घनराशि रु. विकासकर्ता कम्पनी के खाते में घनराशि जमा होने की तारीख

बैंक की मुहर एवं हस्ताक्षर

कार्यालय के प्रयोग हेतु

पंजीकरण का दिनांक आवंटित पंजीकरण संख्या आवंटित भवन संख्या

आवंटन पत्र संख्या एवं निर्गत होने की तिथि

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम स्पष्ट अक्षरों में

चालान संख्या

आवेदक प्रति

पार्थ आर्का योजना

चरण संख्या : 201301

पंजीकरण जमा चालान

लेखशीर्षक: पंजीकरण खाता पार्थ आर्का योजना
(स्पष्ट अक्षरों में भरें)

आवेदक का पूरा नाम :

पिता/पति का नाम :

वर्तमान पता :

नगर योजना का नाम जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं :

सम्पत्ति का प्रकार :

जमा की धनराशि रु.

(शब्दों में) रु.

1. नकद जमा : दिनांक :

जमाकर्ता बैंक का नाम एवं शाखा

अथवा

2. बैंक ड्राफ्ट : दिनांक :

निर्गत करने वाले बैंक का नाम एवं शाखा

आवेदक के हस्ताक्षर

(केवल बैंक के प्रयोग हेतु)

उपरोक्त धनराशि प्राप्त की एवं परिषद के पूंजी खाता में जमा किया।

दिनांक :

प्रबन्धक (सम्बन्धित बैंक)
बैंक की मोहर

चालान संख्या

बैंक प्रति

पार्थ आर्का योजना

चरण संख्या : 201301

पंजीकरण जमा चालान

लेखशीर्षक: पंजीकरण खाता पार्थ आर्का योजना
(स्पष्ट अक्षरों में भरें)

आवेदक का पूरा नाम :

पिता/पति का नाम :

वर्तमान पता :

नगर योजना का नाम जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं :

सम्पत्ति का प्रकार :

जमा की धनराशि रु.

(शब्दों में) रु.

1. नकद जमा : दिनांक :

जमाकर्ता बैंक का नाम एवं शाखा

अथवा

2. बैंक ड्राफ्ट : दिनांक :

निर्गत करने वाले बैंक का नाम एवं शाखा

आवेदक के हस्ताक्षर

(केवल बैंक के प्रयोग हेतु)

उपरोक्त धनराशि प्राप्त की एवं परिषद के पूंजी खाता में जमा किया।

दिनांक :

प्रबन्धक (सम्बन्धित बैंक)
बैंक की मोहर

चालान संख्या

विकासकर्ता प्रति

पार्थ आर्का योजना

चरण संख्या : 201301

1

पंजीकरण जमा चालान

लेखशीर्षक: पंजीकरण खाता पार्थ आर्का योजना
(स्वच्छ अक्षरों में भरें)

आवेदक का पूरा नाम :

पिता/पति का नाम :

वर्तमान पता :

नगर योजना का नाम जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं :

सम्पत्ति का प्रकार :

जमा की धनराशि रु.

(शब्दों में) रु.

1. नकद जमा :

दिनांक :

जमाकर्ता बैंक का नाम एवं शाखा

अथवा

2. बैंक ड्राफ्ट :

दिनांक :

निर्गत करने वाले बैंक का नाम एवं शाखा

आवेदक के हस्ताक्षर

(केवल बैंक के प्रयोग हेतु)

उपरोक्त धनराशि प्राप्त की एवं परिषद के पूंजी खाता में जमा किया।

दिनांक :

प्रबन्धक (सम्बन्धित बैंक)
बैंक की मोहर

चालान संख्या

बैंक प्रति

पार्थ आर्का योजना

चरण संख्या : 201301

1

पंजीकरण जमा चालान

लेखशीर्षक: पंजीकरण खाता पार्थ आर्का योजना
(स्वच्छ अक्षरों में भरें)

आवेदक का पूरा नाम :

पिता/पति का नाम :

वर्तमान पता :

नगर योजना का नाम जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं :

सम्पत्ति का प्रकार :

जमा की धनराशि रु.

(शब्दों में) रु.

1. नकद जमा :

दिनांक :

जमाकर्ता बैंक का नाम एवं शाखा

अथवा

2. बैंक ड्राफ्ट :

दिनांक :

निर्गत करने वाले बैंक का नाम एवं शाखा

आवेदक के हस्ताक्षर

(केवल बैंक के प्रयोग हेतु)

उपरोक्त धनराशि प्राप्त की एवं परिषद के पूंजी खाता में जमा किया।

दिनांक :

प्रबन्धक (सम्बन्धित बैंक)
बैंक की मोहर

1

य का
काय

रेहार्य
पतान

कोई
पत्ति

गिटि
ती भी
व के



पार्थ आर्क
पार्थ इन्फ्राबिल्ड प्रा० लि०
सेक्टर-7, गोमती नगर एक्सटेंशन,
सहीदगंज, लखनऊ।
मो०:- 91-9984798999, 9984865888, 0522-4936900-50

रजिस्टर्ड ऑफिस:
पार्थ इन्फ्राबिल्ड प्रा० लि०
प्लॉट नं० 73, गाउण्ड प्लॉर,
पटवर्धन इन्डस्ट्रीयल एरिया,
दिल्ली - 110 092
वेबसाइट- www.paarthinfra.com